" **प्लास्टिक एवं इसके उत्पादों के प्रयोग संबंधित जानकारी एवं एडवाइजरी**

1. **प्लास्टिक की परिभाषा**– प्लास्टिक ऐसी सामग्री है जिसमें पोलीथाइलीन टेरेफेथेलेट, उच्च घनत्व पोलीथाइलीन, विनाइल, कम घनत्व पोलीथाइलीन, पोलीप्रोपीलीन, पोलीस्टाइरीन रेसिन, एक्रीलोनीट्रीइलीन बूटाडीन स्टाइरिन जैसी बहु सामग्री, पोलीफिनाइलीन आक्साइड, पोलीकर्बोनेट, पोलीबूटीलीन टेरेफिथालेट जैसी उच्च पालिमर के आवश्यक तत्व अनतर्विष्ट हों।
2. **प्लास्टिक के प्रकार**–
   - लो डेनसिटी पोलीथाइलेन, हाइ डेनसिटी पोलीइथाइलीन लाइनर्स–शैम्पू बाटल्स, मोटर ऑयल कन्टेनर, स्ट्रेच फिल्म।
   - पोलीप्रोपीलीन–दवाई की बोतलें, बोतल, ढक्कन इत्यादि।
   - पालीइथाइलीन टेट्राथ्येलेट– प्लास्टिक बोतल, दूध एवं तेल के बैग।
3. **प्लास्टिक अपशिष्ट से होने वाले दुष्प्रभाव**–
   - अपशिष्ट प्लास्टिक का समुचित निस्तारण न होने एवं नाले/नालियों में निस्तारण होने से नाले/नालियॉ चोक हो जाती हैं जिस कारण जल भराव की समस्या उत्पन्न होती है जिससे कई बीमारियॉ एवं प्रदूषण फैलने की संभावना रहती है।
   - अपशिष्ट प्लास्टिक का समुचित पृथक्कीकरण न होने के कारण प्लास्टिक घरेलू ठोस अपशिष्ट में मिश्रित होती है तथा ठोस अपशिष्ट का सुरक्षित निस्तारण न होने की दशा में भूगर्भीय जल प्रदूषित होने की संभावना रहती है।
   - प्लास्टिक अपशिष्ट को खूले में जलाये जाने पर कई प्रकार के हानिकारक केमिकल्स जैसे डाईआर्क्सन फ्यूरान फियूरान्स निकलते हैं जिससे गंभीर बिमारियॉ (कैंसर आदि) उत्पन्न होने की प्रबल संभावना रहती है।
   - प्लास्टिक एवं पॉलीथीन के अन्य नियंत्रित निस्तारण के फलस्वरूप जानवरों द्वारा इन्हें खाये जाने का खतरा बना रहता है।
4. **प्लास्टिक एवं इसके उत्पादों से संबंधित नियम** –
   - प्लास्टिक एवं इसके उत्पादों के उत्पादन, प्रयोग एवं निस्तारण के संबंध में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अपशिष्ट प्लास्टिक नियम, 2016 यथासंशोधित प्रख्यापित हैं जो अधिसूचना की दिनांक 18. 03.2016 से प्रवृत्त हैं। प्लास्टिक नियम, 2016 के निम्न प्राविधान निम्नवत् हैं :–

- अप्रयुक्त या पुनःचक्रित प्लास्टिक के बने किसी कैरी बैग की मोटाई पचास माइक्रोन्स से कम नहीं होगी।
- कम्पोस्टबल प्लास्टिक कैरी बैग हेतु मोटाई का कोई प्रतिबन्ध नहीं हैं।
- रिसाइक्लिड प्लास्टिक से बने कैरी बैग अथवा किसी उत्पाद में खाने योग्य सामग्री का भण्डारण न किया जाए।
- गुटखा, तम्बाकू, पान मसाला के लिये प्रयोग किये जाने वाले सैचेट में प्लास्टिक पदार्थ का प्रयोग प्रतिबन्धित किया गया है।
- प्लास्टिक कैरी बैग, मल्टीलेयर पैकेजिंग का उत्पादन करने वाले उद्योगों के लिये यह अनिवार्य है कि उनके द्वारा उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से पंजीकरण कराया गया हो।

5. **नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन द्वारा अधिसूचित उत्तर प्रदेश प्लास्टिक और अन्य जीव अनाशित कूड़ा–कचरा (उपयोग और निस्तारण का विनियमन) (संशोधन) अध्यादेश, 2018 जारी किया गया है। नगर विकास विभाग, उ0प्र शासन के शासनादेश सं0–1056/9–7–18–29(लखनऊ)/18, दिनांक 15 जुलाई, 2018 द्वारा निम्न निर्देश जारी किये गये हैं–**
   - 50 माइक्रान से कम मोटाई के प्लास्टिक कैरी बैग पूर्णतया प्रतिबन्धित किये गये हैं।
   - 50 माइक्रॉन मोटाई से अधिक प्लास्टिक कैरी बैग जिन पर उत्पादक का रजिस्ट्रेशन नं0 एवं विनिर्माता का नाम अंकित नहीं हो के उपयोग, विनिर्माण, क्रय–विक्रय, भण्डारण, परिवहन, आयात एवं निर्यात को उ0प्र0 के भीतर शासनादेश की तिथि से प्रतिबन्धित किया गया है।
   - प्लास्टिक एवं थर्मोकोल से बने वन टाइम यूज होने वाले कप, प्लेट, चम्मच, टम्बलर इत्यादि के उपयोग, विनिर्माण, क्रय–विक्रय, भण्डारण, परिवहन, आयात एवं निर्यात को उत्तर प्रदेश के भीतर 15 अगस्त, 2018 से प्रतिबन्धित किया गया है।
   - समस्त प्रकार निस्तारण योग्य प्लास्टिक कैरी बैग के उपयोग, विनिर्माण, क्रय–विक्रय, भण्डारण, परिवहन, आयात एवं निर्यात को उत्तर प्रदेश के भीतर 02 अक्टूबर, 2018 से प्रतिबन्धित किया गया है।
6. **प्लास्टिक अपशिष्ट के जनन को कम किये जाने हेतु तथा प्लास्टिक के उपयोग को रोके जाने हेतु आवश्यक सुझाव–**
   - कपड़े एवं कागज के थैलों का उपयोग किया जाए।
   - घर से निकलते समय अपनी पानी की बोतल स्वयं साथ रखें जिससे प्लास्टिक निर्मित बोतलों में पानी का प्रयोग कम से कम हो सके।
   - प्लास्टिक के बने टिफिन आदि के स्थान पर अन्य उपलब्ध विकल्पों का प्रयोग न किया जाए।
   - वन टाइम यूज होने वाले प्लास्टिक की बोतले, शैसे इत्यादि का प्रयोग न किया जाए।
   - प्लास्टिक के कप, प्लेट इत्यादि का उपयोग न किया जाए।